प्रेस नोट थाना खुटार

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक- 07.09.2025

“थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा थाने पर पंजीकृत ठगी व धोखाधड़ी से सम्बन्धित अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण में थाना खुटार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरण

थाना खुटार पर वादी श्री सुमित कुमार त्रिवेदी निवासी ग्राम कुईया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त मोहित ठाकुर पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम सफौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध मु0अ0स0- 375/2025 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र कल्यान सिंह निवासी ग्राम सफौरा थाना निगोही, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 336(3)/338/340(2) बीएनएस के अपराध के पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 336(3)/338/340(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व धारा 316(2) बीएनएस का लोप किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. मोहित सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष 2. श्याम सिंह पुत्र कल्यान सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण ग्राम सफौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 06.09.2025 समय करीब 19.50 बजे पुवायाँ रोड रामपुर कला से कुछ दूर पहले गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्तगण द्वारा जून 2025 के आखिरी सप्ताह मे योजना बनायी कि अलग अलग गांवो में दूध के पशु पालकों से दूध की मधुसूदन डेयरी के कलेक्शन सेंटर के नाम से बीस बीस हजार रूपये लिये जाये तो लोग आसानी से हमारे झांसे मे आ जायेंगे। अभियुक्तगण द्वारा जनपद के थाना बंडा, थाना खुटार क्षेत्र के अतिरिक्त थाना पूरनपुर, थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत के लोगो से संपर्क योजना के बारे में बताया तो काफी लोग योजना पर तैयार हो गये थे। अभियुक्तगण द्वारा मधुसूदन डेयरी के नाम से अलग अलग फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार किया। और लोगों को बताया कि दूध की डेयरी का कलेक्शन सेंटर बनाने के लिये कम्पनी की तरफ से दूध चेक करने की मशीन दी जायेगी जिसकी कीमत बीस हजार रूपये कलेक्शन सेंटर वाले को देने होंगे और करीब छः सात लोगों से अभियुक्तगण ने 20-20 हजार रूपये लिये और मधुसूदन डेयरी का एग्रीमेन्ट बनवाया। इस फर्जीवाडे मे अभियुक्त मोहित सिंह द्वारा अपना आधार कार्ड लकी ठाकुर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला एकता नगर बीसलपुर पीलीभीत के नाम से तैयार किया तथा उसमे आधार कार्ड नंबर बदल दिया गया था तथा एग्रीमेन्ट के साथ फर्जी आधार कार्ड भी पशुपालकों को देता था। दूध डेयरी का कलेक्शन सेन्टर लेने के लिये अभियुक्तगण के पास काफी लोगों का फोन आने लगे। तब अभियुक्तगण द्वारा अपना एक ऑफिस पूरनपुर जिला पीलीभीत मे खोल लिया। पीलीभीत के भी काफी लोगो को अभियुक्तो ने योजना बतायी और उन लोगो से भी मधुसूदन डेयरी देकर और बैंक की पास बुक, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि लेकर विश्वास मे लिया और 20-20 हजार ऑनलाइन व नगद प्राप्त किये। अभियुक्तों द्वारा कुछ लोगो को दूध चेक करने की मशीन के नाम पर खाली डिब्बा सील पैक करके दे दिया था। लोगो से पैसा अकाउन्ट मे ऑनलाइन व नगद लेते थे। अकाउंट में पैसा लेने के लिये अभियुक्तों ने अपने परिचित बेबी सिंह निवासी धुलिया, थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को विश्वास मे लेकर एक खाता खुलवाया और उन्हें बताया कि हम तुम्हारा लोन करवा देंगे और खाते मे जो मोबाइल सिम नंबर लगाया था वह सिम बेबी सिंह से यह कहकर ले लिया था कि लोन कराने के लिये आपके नंबर पर ओटीपी आयेगा। आप ओटीपी नही बता पाओगे इसलिये यह सिम हमें दे दो। बेबी सिंह के अकाउंट मे अभियुक्तो द्वारा पैसा आनलाइन डलवाया जाता था और फिर उस पैसे को बेबी सिंह के खाते से यूपीआई के माध्यम से/ जनसेवा केन्द्र से अथवा आनलाइन ट्रांजेक्शन द्वारा निकाल लेते थे। इन रूपयो को अभियुक्तों द्वारा आपस मे बांट लिया जाता था। अभियुक्तों द्वारा करीब 25-30 लोगों से दूध की डेयरी के नाम पर फर्जी तरीके से झूठ बोलकर फर्जी एग्रीमेंट करके बैक में तथा नगद 20-20 हजार रूपये के हिसाब से प्राप्त किये थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण

1. मोहित सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष नि0ग्रा0 सफौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. श्याम सिंह पुत्र कल्यान सिंह उम्र करीब 30 वर्ष नि0ग्रा0 सफौरा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

02 गत्ते के डिब्बो में मशीन के कवर, 02 दो दूध खरीद रजिस्टर, 02 स्टील की डोलची, 04 प्लास्टिक की दूध सैम्पल की शीशी, 02 प्लास्टिक के दूध की मशीन साफ करने के प्लंजर, 02 प्लास्टिक की दूध छान्ने की बड़ी छन्नी, 04 एग्रीमेन्ट।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि हम लोगो से मधुसूदन डेयरी का प्लांट खोलने की बात कहकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन व नकद पैसे लेते थे। अकाउंट में पैसा लेने के लिये हमने अपने परिचित बेबी सिंह निवासी धुलिया, थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को विश्वास मे लेकर एक खाता खुलवाया और उन्हें बताया कि हम तुम्हारा लोन करवा देंगे और खाते मे जो मोबाइल सिम नंबर लगाया था वह सिम बेबी सिंह से यह कहकर ले लिया था कि लोन कराने के लिये आपके नंबर पर ओटीपी आयेगा। आप ओटीपी नही बता पाओगे इसलिये यह सिम हमें दे दो। हम बेबी सिंह के खाते में पैसा जलवाकर जनसेवा केन्द्र या आनलाइन पैसा निकाल लेते थे तथा बाद में इन पैसों को आपस मे बांट लेते थे।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त मोहित

1. मु0अ0सं0 321/25 धारा 115(2)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना निगोही जिला शाह0
2. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना खुटार शाह0
3. मु0अ0सं0 539/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत
4. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना से0म0उ0 जनपद पीलीभीत

अभियुक्त श्याम सिंह

1. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना खुटार जिला शाह0
2. मु0अ0सं0 194/18 धारा 406/420/506 भादवि थाना कोतवाली जिला पीलीभीत
3. मु0अ0सं0 539/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक श्री राजेश सिंह अपराध शाखा शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री अनुज चौधरी थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर
3. का0 2205 सिकन्दर सिंह मलिक थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर
4. का0 94 हरिओम सिंह थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर
5. का0 2146 फिरोज हसन थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर